संख्या-1278 /78-2-2014-53आई.टी./08टीसी

प्रेषक,

जीवेश नन्दन
प्रमुख सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   राजस्व/ पंचायतीराज/ विकलांग कल्याण/ समाज कल्याण/
   महिला कल्याण एवं बाल विकास/ श्रम/ खाद्य एवं रसद/ नगर विकास विभाग
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त
   उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी
   उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊ:दिनांक: 25 नवम्बर, 2014**

विषय: आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं को इन्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को विभिन्न सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश संख्या-1527/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 20 फरवरी, 2013 संख्या-704/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 4 मई, 2013 एवं संख्या-992/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 28 जून, 2013 जारी किये गये हैं।

2. उक्त के अतिरिक्त योजना को और अधिक सुलभ बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सिटीजन सेवायें अब आवेदक को सीधे इन्टरनेट के माध्यम से भी प्रदान की जायेंगी।

3. उक्त सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं को आम जनमानस द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से सीधे प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिय निम्नवत् होगी:-

(1) सर्वप्रथम आवेदक आनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल (www.uponline.up.nic.in) पर अपना पंजीयन करेंगे।

(2) आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं हेतु अनिवार्य अभिलेखों/संलग्नकों की सूची, सेवा शुल्क इत्यादि को "अनिवार्य संलग्नक" लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते है।

(3) पोर्टल पर पंजीयन के One Time Password (OTP) आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगे।

(4) पंजीयन उपरान्त आवेदक सृजित यूजर आई.डी.,OTP एवं सुरक्षा कोड के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाईन लॉगिन करेगा।

(5) आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित ई-फार्म में एण्ट्री करेगा।

(6) आवेदक ई-फार्म में एण्ट्री करने से पूर्व यह सुनिश्चत करेंगे कि मॉगे गए समस्त संलग्नकों की स्कैन्ड कॉपी JPEG/PDF फॉर्मेट में हो, जिसका साईज 200 KB से कम हो, तथा नवीनतम फोटो JPEG जिसका साईज 20 KB से कम हो, उसके पास उपलब्ध हो।

(7) तत्पश्चात् आवेदक स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र के साथ अन्य आवश्यक संलग्नकों को पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा सभी भरी हुयी प्रविष्टियों की शुद्धता जांचने के उपरान्त, आवेदन फार्म को पोर्टल पर सबमिट करेंगे।

(8) आनलाईन ई-फार्म पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक को पोर्टल द्वारा एक यूनिक आवेदन पत्र संख्या उपलब्ध करा दी जायेगी।

(9) तत्पश्चात आवेदक सेवा से सम्बन्धित शुल्क को जमा करने हेतु "सेवा शुल्क भुगतान" लिंक पर क्लिक करेगा जिसके पश्चात पोर्टल द्वारा आवेदक को पेमेन्ट गेटवे पर अग्रेसित किया जायेगा जिसमें आवेदक आनलाईन मोड यथा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिग एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क एवं पेमेन्ट गेटवे का ट्रांजक्शन चार्ज का भुगतान कर सकेंगे।

(10) पोर्टल द्वारा आवेदक को सफल पेमेन्ट के उपरान्त एक यूनिक बैंक ट्रांजक्शन आई.डी. उपलब्ध करा दी जायेगी।

(11) आवेदक पावती पत्र (Acknowledgement Slip) को प्राप्त करने हेतु "आवेदन सुरक्षित करें" लिंक पर क्लिक करेगा तथा पूर्व में प्राप्त यूनिक आवेदन पत्र संख्या एवं बैंक ट्रांजक्शन आई.डी. के माध्यम से आनलाईन रसीद को सुरक्षित करेगा।

(12) तदोपरान्त इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

(13) आवेदक, आवेदन की अद्यतन स्थिति को पोर्टल पर उपलब्ध "आवेदन की स्थिति" पर आवेदन संख्या अंकित कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

(14) प्रमाणपत्रों/सेवाओं को निर्गत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समय-सीमा पूर्व में ही निर्धारित की है, जिसके क्रम में आवेदन के सही पाये जाने के उपरान्त निर्गत प्रमाणपत्र/सेवा सूचना को आवेदक के रजिस्टर्ड इन्बॉक्स पर "निस्तारित आवेदक" लिंक के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(15) पोर्टल द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत होने के उपरान्त उसकी सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(16) वर्तमान में शासनादेश संख्या-1527/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 20 फरवरी, 2013 में की गयी व्यवस्था के अनुसार खतौनी सेवा को छोड़कर अन्य शासकीय सेवाओं हेतु आमजन से प्राप्त किये जाना वाला यूज़र चार्ज रू.20/- है जिसमें से एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जनसुविधा केन्द्र संचालक का अंश रू.10/- निर्धारित है। इसी प्रकार खतौनी सेवा के लिये आम जनमानस से यूज़र चार्ज के रूप में रू.30/- निर्धारित है, जिसमें रू.15/- का अंश केन्द्र संचालक के लिये निर्धारित है।

(17) नई व्यवस्था में आवेदक जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र एवं जनसुविधा केन्द्र के अतिरिक्त इन्टरनेट के माध्यम से भी सीधे आनलाईन आवेदन कर सकेगा। आम जनमानस द्वारा सीधे आनलाईन आवेदन करने पर खतौनी सेवा के लिये रू.15/- एवं अन्य शासकीय सेवाओं के लिये रू.10/- यूज़र चार्जेज के रूप में लिया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रक्रिय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जीवेश नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 1278(1)/78-2-2014 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र.,।
4. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को, लखनऊ।
6. हेड, एस.ई.एम.टी., उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

25/XI

(जी.एस.प्रियदर्शी)
विशेष सचिव